Regd. No. CHD/0093/2009-2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SATURDAY, MARCH 13, 2010
(PHALGUNA 22, 1931 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 13 March, 2010

No. 10-HLA of 2010/20.— The Haryana Private Universities(Amendment) Bill, 2010 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 10—HLA of 2010

THE HARYANA PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2010

A

BILL

further to amend the Haryana Private Universities Act, 2006.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Haryana Private Universities(Amendment) Act, 2010. Short title.

2. For Sub-section (1) of Section 4 of the Haryana Private Universities Act, 2006 (hereinafter called the principal Act), the following sub-section shall be substituted, namely:— Amendment of Section 4 of Haryana Act 37 of 2006.

"(1) An application containing the proposal and the project report to establish a university by a private sector shall be made by the sponsoring body to the Government, along with such fee, as may be prescribed. At the time of submission of application. the sponsoring body shall fulfill the condition regarding possession of land as per provisions laid down in Section 9.".

Amendment of Sectic ـ of Haryana Act 32 of 2006.

3. In Sub-section (2) of Section 5 of the principal Act,—

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the Government may further extend the term for a maximum period of one year not exceeding six months at a time if it is satisfied that the sponsoring body has taken substantial steps towards setting up of the university.".

Amendment of Section 9 of Haryana Act 32 of 2006.

4. To Section 9 of the principal Act, the following explanation shall be added. namely:- -

"*Explanation.*—For the purposes of this section, "possession" means possession either by way of ownership or as a lessee having perpetual irrevocable lease for a minimum period of thirty years.".

Amendment of Schedule to Haryana Act 32 of 2006.

5. In the Schedule to the principal Act, after serial number 2 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added, namely:—

"3	Amity University	Village Gwalior, Panchgaon (Near Manesar), District Gurgaon
4	Apeejay Stya University	Village Silani, District Gurgaon".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a need for creation and expansion of educational institutions in the State of Haryana for improving opportunities of higher education for Youth of the State. Private Sector is an important player in providing higher education. For encouraging the persons/ sponsoring bodies with rich experience of running educational institutions "The Haryana Private Universities Act, 2006" has been formulated by the Government under which private universities can be created.

Even though good response for setting up private universities in the State is being received, the provisions for the requirement of land by way of ownership only in the said Act have been observed to be restrictive. To enable more persons/ sponsoring bodies with experience to come forward for setting up Private Universities in Haryana, arrangement of land by way of 30 years irrevocable lease is proposed to be incorporated in the Act.

Further there is a need for extending the time period by maximum up to one year for submitting compliance report of the conditions of letter of intent if the sponsoring body has taken substantial steps towards setting up of the university.

Further for achieving the objectives enshrined in the Act, proposals have been formulated for setting up 'Amity University' and 'Apeejay University' in District Gurgaon.

Hence, this bill.

GEETA BHUKAL,
Education Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 13th March, 2010

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2010 का विधेयक संख्या 10 – एच० एल० ए०

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010, कहा जा सकता है।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 4 का संशोधन।

2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1) निजी क्षेत्र द्वारा कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव और परियोजना रिपोर्ट अन्तर्विष्ट करते हुए यथाविहित ऐसी फीस सहित आवेदन सरकार को प्रायोजक निकाय द्वारा किया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करते समय, प्रायोजक निकाय धारा 9 में अधिकथित उपबन्धों के अनुसार भूमि के कब्जे के संबंध में शर्त पूरी करेगा।"।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 5 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) में,--

(i) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु सरकार अवधि को अधिकतम एक वर्ष की और अवधि के लिए किन्तु एक बार में छह मास से अनधिक बढ़ा सकती है यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि प्रायोजक निकाय ने विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु पर्याप्त कदम उठाए हैं।"।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 9 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 9 में, निम्नलिखित व्याख्या जोड़ दी जाएगी, अर्थात् :—

"***व्याख्या.***--इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कब्जा" से अभिप्राय है, या तो स्वामित्व के रूप में या तीस वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए शाश्वत अप्रतिसंहरणीय पट्टा रखने वाले पट्टेदार के रूप में कब्जा।"।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की अनुसूची का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उनके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात् :—

"3	एमिटी विश्वविद्यालय	गांव ग्वालियर, पंचगांव (नजदीक मानेसर), जिला गुड़गांव
4	एपीजे सत्य विश्वविद्यालय	गांव सिलानी जिला गुड़गांव"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु शैक्षणिक संस्थानों की संरचना और विस्तार की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिये निजी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। शैक्षणिक संस्थाएं चलाने में अपार अनुभव वाले व्यक्तियों/प्रायोजक निकायों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा "हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006" बनाया गया है। जिसके तहत निजी विश्वविद्यालय खोले जा सकते हैं।

यद्यपि राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, अधिनियम में अपेक्षित भूमि के लिए वर्णित एक मात्र स्वामित्व के प्रावधान को प्रतिबाधित माना जा रहा है। अनुभव प्राप्त अधिक व्यक्तियों/प्रायोजक निकायों को हरियाणा में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने में समर्थ बनाने हेतु, तीस वर्षों की अवधि के लिये अपरिवर्तनीय तरीके से पट्टे पर ली गई भूमि की व्यवस्था अधिनियम में समाविष्ट किया जाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त, यदि प्रायोजक निकाय के द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु पर्याप्त कदम उठाये गये हैं, तो आशय पत्र की अवधि में लगाई गई शर्तों पर अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, जिला गुड़गांव में 'एमिटी विश्वविद्यालय' एवं 'एपीजे सत्य विश्वविद्यालय' स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तावों का प्रतिपादन किया गया है

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

गीता भुक्कल,
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
13 मार्च, 2010

सुमित कुमार,
सचिव।

47015—H.V.S.—H.G.P., Chd.